मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्ययप्रदेश के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीधी भर्ती के 60 एवं सीधी–भर्ती बैकलॉग के 02 पदों तथा
- नियंत्रक, नाप–तौल, मध्यप्रदेश के अंतर्गत निरीक्षक नाप–तौल सीधी भर्ती के 15 पदों पर भर्ती हेतु

संयुक्त चयन परीक्षा–2012 के परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		26.06.2012
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		30.07.2012
परीक्षा दिनांक व दिन		07.10.2012 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पद हेतु	अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500 / – अनु. जाति / जनजाति / निःशक्तजन के लिए – 250 / –
	बैकलॉग भर्ती के पद हेतु	कोई शुल्क देय नही
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50 / – देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
रविवार 07.10.2012	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से दोप. 01:15 बजे तक (03 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्ययप्रदेश के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीधी भर्ती के 60 एवं सीधी–भर्ती बैकलॉग के 02 पदों तथा
- नियंत्रक, नाप–तौल, मध्यप्रदेश के अंतर्गत निरीक्षक नाप–तौप सीधी भर्ती के 15 पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2012

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं निरीक्षक नाप–तौल के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2012 के लिए विभागीय नियम	03–08
2.	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	09–13
3.	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन	14
4.	प्रारूप–2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	15

अध्याय – 1

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं निरीक्षक नाप–तौल के पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2012 के लिए विभागीय नियम

1.1 चयन संबंधी सामान्य अनुदेश :–

(1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 1871/स–2/स्थापना/2011, दि. 25.03.2011 तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं. एफ–2–10/2008/29/2, दि. 13.10.2008 के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के रिक्त सीधी भर्ती के 60 एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के 02 पदों पर भर्ती हेतु तथा

(2) नियंत्रक नाप–तौल, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 256/नातौ/आरक्षण/2010, दिनांक 27.01.2011 तथा विभाग के पत्र क्रं. 354/2347/2010/उन्तीस–2, दिनांक 06.02.2012 के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक नाप–तौल, मध्यप्रदेश के अंतर्गत निरीक्षक नाप–तौप के सीधी भर्ती के 15 पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2012 के लिए आवेदन कर रहे समस्त आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे।

1.2 परिभाषाएॅ :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

(द) संवर्ग से तात्पर्य – म.प्र. सिविल सेवा नियम, 1961 के बिन्दु 4 अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं तृतीय श्रेणी, (अलिपिक वर्गीय) पद
1 – कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
2 – निरीक्षक, नाप–तौल

1.3 रिक्त पद से संबंधित जानकारियॉ :–

(क)		
	पदनाम	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
	वेतनमान	5200–20200+2800 ग्रेड पे
	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो) या प्रौद्योगिकी/ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करता हो। (2) हिन्दी बोलने, पढ़ने व लिखने में समर्थ हो। (3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ–3–2006–1–9, दि. 06.02.2006 एवं क्रं. एफ–3/206/1–9, दि. 20.10.2009 के अनुसरण में निम्न संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है :– (a) Diploma from all Universities recognized by UGC. (b) Diploma from all Open Universities recognized by UGC. (c) Diploma level examination from DOEACC. (d) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

आरक्षण तालिका :–

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
सीधी भर्ती :–								
1.	अनारक्षित	18	08	01	0	02	01	30
2.	अनुसूचित जाति	06	03	0	0	01	0	10
3.	अनुसूचित जनजाति	07	04	0	0	01	0	12
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	02	0	0	01	0	08
सीधी भर्ती–बैकलॉग :–								
1.	अनुसूचित जनजाति	01	01	0	0	0	0	02
महायोग :–		37	18	01	0	05	01	62

ख	पदनाम	निरीक्षक नाप–तौल
	वेतनमान	5200–20200+2400 ग्रेड पे
	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो) अथवा प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या इंजीनियरिंग में कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी हो। डिप्लोमाधारी को 03 वर्ष का सेवा अनुभव होना आवश्यक है। (2) राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो। (3) निरीक्षक नाप तौल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

आरक्षण तालिका :–

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
सीधी भर्ती':–								
1.	अनारक्षित	08	04	0	0	0	0	12
2.	अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	0	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	0	0	0	0	02
महायोग :–		10	05	0	0	0	0	15

नोट– 1. आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

2. आवेदक उक्त विज्ञापित दोनों पदों के लिए पद का प्राथमिकता क्रम देते हुए आवेदन कर सकेगा।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयन करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 जनवरी 2013 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए।

1.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–18–15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2013 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–5/2001/3/1, दि. 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10+5=50 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

(क) निःशक्तजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(घ) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ड.) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
  (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
  (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.6 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :–

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी विकलांग (अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित) अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(स) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तत करना होगा।

1.7 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताऍं/जानकारी :

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
2. ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो लिखित परीक्षा के लिये अनर्ह माना जावेगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
5. मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
6. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1.8 चयन का आधार :

उक्त पद पर चयन हेतु मंडल द्वारा एक लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक–एक अंक के कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र की समयावधि तीन घंटे होगी तथा प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रजी को छोड़कर द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रजी माध्यम) होगा।

1.9 पाठ्यक्रम :

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों का स्तर निम्नानुसार होगा :–

स.क्रं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रश्नों का स्तर
1.	सामान्य ज्ञान	50	स्नातक
2.	सामान्य हिन्दी	25	दसवीं
3.	सामान्य अंग्रेजी	25	दसवीं
4.	गणित	25	बारहवीं
5.	भौतिक शास्त्र	25	स्नातक
6.	अभिरूचि परीक्षण (Aptitude Test)	50	–
	कुल प्रश्न :–	200	

1.10 पारस्परिक वरीयता :

योग्यताक्रम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट–उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के एक समान अंक मिलें, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जावेगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

1.11 दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची के आधार पर विभाग द्वारा चयन / नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन / परीक्षण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन अथवा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय / नियंत्रक नाप–तौल मध्यप्रदेश) द्वारा किया जायेगा। नियुक्ति के समय नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

चाहे गए समस्त प्रपत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति / सत्यापन के समय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अथवा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय / नियंत्रक नाप–तौल मध्यप्रदेश) को प्रस्तुत किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र / दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.12 नियुक्ति के संबंध में निर्देश :–

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से अंतिम चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत नियोक्ता कार्यालय / विभाग द्वारा नियमों के संदर्भ में नियुक्ति की शर्तें निर्धारित की जायेगी तथा प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

शासन के नियम / निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थिति में पेंशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

1.13 यात्रा व्यय का भुगतान :

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के ज्ञान क्रं. एफ–6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक, दिनांक 19.09.2002 के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यात्रा टिकिट प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश की सीमा तक न्यूनतम किराये का भुगतान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।

1.14 न्याय क्षेत्राधिकार :

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायक्षेत्र मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक सीमित होगा।

––0––

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। सीधी भर्ती तथा सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा किसी एक या दोनो विकल्प का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आवेदक द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि
8.	पदनाम (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक नापतौल/दोनों)
9.	पद का प्रकार (सीधी भर्ती या सीधी भर्ती–बैकलॉग या दोनों)

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जायेगा। शेष उपरोक्त स.क्रं. 02 से 09 तक की जानकारी के रिक्त होने की स्थिति में आवेदन–पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाईन रेक्ट्रिफिकेशन (त्रुटि सुधार) की सुविधा प्राप्त होगी। उपरोक्त रेक्टिफिकेशन व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदन–पत्र में अन्य त्रुटि सुधार संबंधी यथोचित समयसीमा में मण्डल में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर परीक्षा उपरांत यथासंभव कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु परिणाम घोषित होने के उपरांत इस प्रकार के त्रुटि सुधार संबंधी किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि परिणाम घोषित होने के पश्चात् मण्डल functus officio बन जाता है।

2.5 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(1) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(2) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा शहर, परीक्षा समय व परीक्षा शुल्क :–

लिखित परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहर में प्रातः 10:00 से दोप. 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग के लिए 500/–रू. तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ निःशक्तजन के लिए 250/–रू. परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

2.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.10 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों व तीन घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप -1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

2.15 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन / फायनल आंसर्स :-

(1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप-2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों / उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.13 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों / उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.16 परीक्षा परिणाम :-

अध्याय-1 व 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा।

2.17 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त / मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.18 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2 / 05 / आ.प्र. / एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऍ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऍ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.19 मण्डल का क्षेत्राधिकार :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.20 अभिलेखों का संधारण :–

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.21 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.14)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सीधी भर्ती, निरीक्षक नाप–तौल, सीधी भर्ती,–सीधी भर्ती बैकलॉग संयुक्त चयन परीक्षा'2012 में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र........................ से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड .... के सेट क्रमांक.................. हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर :–................................
आवेदक का नाम :–................................
परीक्षा का नाम :–................................
अनुक्रमांक :–................................
परीक्षा केन्द्र का नाम :–................................

स्थान :–........................
दिनांक :–........................

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

प्रारूप–2
(देखें नियम 2.15)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर :–...............................

दिनांक :–...............................